# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411


क्रमांक :–No./Acad./2023/ 19535

दिनांक : 07/08/23

## विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2023 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2023 को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

| | | |
|---|---|---|
| 1. प्रो. भगीरथ सिंह | माननीय कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. पुष्पलता शर्मा | (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 3. डॉ. प्रेम सिंह मीणा | (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4. डॉ. रवीन्द्र कटेवा | (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 5. श्री यशपाल | संकायाध्यक्ष कला | सदस्य |
| 6. डॉ. रणवीर सिंह | संकायाध्यक्ष विज्ञान | सदस्य |
| 7. डॉ. पुष्पा चौधरी | संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान | सदस्य |
| 8. डॉ. राकेश कुमार | संकायाध्यक्ष शिक्षा | सदस्य |
| 9. श्री रामानन्द शर्मा | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भौतिक विज्ञान | सदस्य |
| 10. डॉ. राजवीर सिंह | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड रसायन विज्ञान | सदस्य |
| 11. श्री जगदीश प्रसाद | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड गणित | सदस्य |
| 12. डॉ. मनोज कुमार | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भूगोल | सदस्य |
| 13. डॉ. महेन्द्र सिंह चौधरी | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड इतिहास | सदस्य |
| 14. डॉ. भागीरथ मल | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड लोक प्रशासन | सदस्य |
| 15. डॉ. महेश गिठाला | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड समाज शास्त्र | सदस्य |
| 16. डॉ. दीनदयाल गुप्ता | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अंग्रेजी | सदस्य |
| 17. डॉ. राजेन्द्र सिंह | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड हिन्दी | सदस्य |
| 18. डॉ. मधु गढ़वाल | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड शिक्षा | सदस्य |
| 19. डॉ. भंवर लाल | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड ईएएफएम | सदस्य |
| 20. डॉ. प्रेम परिहार | अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड व्यावसायिक प्रशासन | सदस्य |
| 21. श्री राजवीर सिंह चौधरी | कुलसचिव | सदस्य सचिव |

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये:

**Item Agenda (मद) 1 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 17.06.2023 के कार्यवृत का अनुमोदन।**

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

**निर्णयः** विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 17.06.2023 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

**Item Agenda (मद) 2 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 17.06.2023 के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।**

(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

**निर्णयः** अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

**Item Agenda (मद) 3 :– नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम (Syllabus), संदर्भ/पाठ्य पुस्तकों (Reference/Text Books) एवं परीक्षा पद्धति (Exam Pattern) के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

**निर्णयः** नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम (Syllabus), संदर्भ/पाठ्य पुस्तकों (Reference/Text Books) एवं परीक्षा पद्धति (Exam Pattern) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के स्नातक प्रथम वर्ष के अनुरूप रखे जाने का निर्णय लिया गया। स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम (Syllabus) के संबंध में अन्यथा कोई निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में निर्देशों की पालना हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**Item Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातकोत्तर स्तर के डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज के पाठ्यक्रम एवं संदर्भ पुस्तकों के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

**निर्णयः** विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातकोत्तर स्तर के डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज के पाठ्यक्रम एवं संदर्भ पुस्तकें गत शैक्षणिक सत्र 2022–23 के अनुरुप लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

**Item Agenda (मद) 5 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 17.06.2023 के एजेण्डा मद 7 ''विश्वविद्यालय परीक्षा, 2023 एवं आगामी वर्षों की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन नीति पर विचार एवं निर्णय।'' का प्रबंध बोर्ड द्वारा पुनर्विचार करने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।**

**निर्णयः** विश्वविद्यालय परीक्षा, 2023 एवं आगामी वर्षों की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन नीति में एक परीक्षार्थी के पुनर्मूल्यांकन पश्चात 20 प्रतिशत अंकों का अंतर (बढ़ोतरी/कमी) होने पर उत्तरपुस्तिका तृतीय परीक्षक से जांच करवाने का निर्णय किया गया एवं विद्यार्थी को सर्वोत्तम दो परीक्षकों (Best two examiners) से जांच उपरांत प्राप्त अंकों के औसत अंक प्रदान कर परिणाम तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि विद्यार्थी के प्राप्तांक पूर्णांक के 25 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ते हैं, तो विद्यार्थी को पुनर्मूल्यांकन शुल्क वापस (Refund) किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

साथ ही परीक्षकों द्वारा उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य में विभिन्न प्रकार की त्रुटि (Type of errors) किये जाने पर परीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही निर्धारण हेतु अनुशंषा प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गयाः–

1. डॉ. पुष्पा चौधरी, संकायाध्यक्ष समाज विज्ञान
2. डॉ. रणवीर सिंह, संकायाध्यक्ष विज्ञान
3. डॉ. जे. पी. सैनी, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड गणित
4. डॉ. राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड हिन्दी
5. डॉ. जसवंत सिंह खीचड़, सलाहकार

**Item Agenda (मद) 6 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 17.06.2023 के एजेण्डा मद 8 " UGC (Minimum Standards and Procedures for the award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 को स्वीकार करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।" का प्रबंध बोर्ड द्वारा पुनर्विचार करने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।**

**(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)**

**निर्णयः** UGC (Minimum Standards and Procedures for the award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 को स्वीकार किया गया। पी.एचडी. प्रवेश हेतु सैद्धांतिक एवं इंटरव्यू मार्क्स का अनुपात 70:30 रखे जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप साक्षात्कार के तीस अंकों में से 20 अंक अकादमिक रिकॉर्ड के अनुसार एवं 10 अंक इंटरव्यू हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय किया गया।

**Item Agenda (मद) 7 :– विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 17.06.2023 के एजेण्डा मद 10 " विधि महाविद्यालयों के डॉ. भींवराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपुर के अंतर्गत जाने के कारण विधि संकाय के शोध विद्यार्थियों, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क पूर्ण कर लिया है, के शोध पर्यवेक्षक (Research Supervisor) तय करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।" का प्रबंध बोर्ड द्वारा पुनर्विचार करने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।**

**निर्णयः** :– छात्र हित में पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क पूर्ण करने वाले शोधार्थियों को इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध पर्यवेक्षकों (Research Supervisors) को शोध छात्र आवंटित (Allot) करने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में यू.जी.सी. को सूचित करने का निर्णय लिया गया।

**Item Agenda (मद) 8 :– UGC (Minimum Standards and Procedures for the award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 के अनुसार शोध पर्यवेक्षकों की स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय।**

**निर्णयः** UGC (Minimum Standards and Procedures for the award of Ph.D. Degree) Regulations, 2022 के अनुसार शोध पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

**Item Agenda (मद) 9 :– UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2nd Amendment) Regulations, 2023 को अंगीकार करने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।**

**(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)**

**निर्णयः** UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2nd Amendment) Regulations, 2023 को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

**Item Agenda (मद) 10 :– विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2021–22 व 2022–23 में ली गई परीक्षा शुल्क के अनुमोदन के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।**

**(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)**

**निर्णयः** विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2021–22 व 2022–23 में लिए गए परीक्षा शुल्क का अनुमोदन किया गया।

## टेबल एजेण्डा

**Table Agenda (मद) 1 :– परीक्षा 2020 में स्नातक स्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा में प्रोन्नत किये गये विद्यार्थियों को प्रथम/द्वितीय वर्ष में औसत अंक प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव।**

निर्णयः परीक्षा 2020 में स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष के प्रोन्नत किये गए विद्यार्थियों का परीक्षा 2023 का परिणाम निम्नानुसार तैयार किये जाने का निर्णय किया गया:–

1. जो प्रोन्नत विद्यार्थी स्नातक स्तर पार्ट–प्रथम/द्वितीय/तृतीय परीक्षा 2023 में पूर्णतः उत्तीर्ण हैं उनके प्राप्तांकों के आधार पर प्रोन्नत कक्षा के विषयों में अंक प्रदान कर परिणाम जारी किये जाने का निर्णय किया गया।
2. जो प्रोन्नत विद्यार्थी स्नातक स्तर पार्ट–द्वितीय/तृतीय परीक्षा 2023 में जिन विषयों में पूर्णतः उत्तीर्ण नहीं हैं उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत कक्षा के उन विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान कर परिणाम जारी किये जाने का निर्णय लिया गया, ताकि ऐसे विद्यार्थियों को आगामी वर्ष में स्नातक स्तर पार्ट द्वितीय/तृतीय के केवल अनुत्तीर्ण (Due) विषयों की ही परीक्षा देनी पड़े।

**Table Agenda (मद) 2 :– स्नातक प्रथम वर्ष में अनिवार्य कम्प्यूटर विषय की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2023–24 से स्नातक प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Elementry Computer) में प्रायोगिक परीक्षा समाप्त कर केवल 100 अंकों का सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

कुलसचिव